न्यायालय– न्यायिक दंण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, व्यवहार न्यायालय, बोकारो

उपस्थित– श्रीमान किशोर कुमार,

न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, बोकारो।

बोकारो, दिनांक 21वीं नवम्बर 2025

जिला– बोकारो

जी0आर0 सं0– 925/2023

पिन्ड्राजोरा थाना काण्ड सं0– 02/2022

CNR No.- JHBK03005929-2023

सूचक	झारखंड सरकार द्वारा छुटनुनी देवी उर्फ छुटु नुनी देवी (सूचिका)
प्रतिनिधित्व	सुश्री किरण पटेल, स0लो0अभि0
अभियुक्त	1. केदार प्रजापति, उम्र लगभग 50 वर्ष, पुत्र– स्व0 बुधन महतो, 2. कविलाशो देवी, उम्र लगभग 45 वर्ष, पत्नी– केदार प्रजापति, 3. संजय कुमार प्रजापति, उम्र लगभग 35 वर्ष, पुत्र– केदार प्रजापति, सभी साकिन– तेरपा, थाना– पतरातु, जिला– रामगढ़, झारखंड
प्रतिनिधित्व	श्री बी0के0 शर्मा, विद्वान अधिवक्ता

घटना की तारीख	03.12.2021
प्राथमिकी की तारीख	08.01.2022
आरोप–पत्र की तारीख	29.03.2023
सारांश की तिथि	10.12.2024
साक्ष्य प्रारंभ की तिथि	30.01.2025
निर्णय हेतु रिजर्व	21.11.2025
निर्णय की तिथि	21.11.2025
सजा का आदेश की तिथि, यदि हो तो	......

अभियुक्त का विवरण:–

क्र0	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत की तिथि	आरोप की धारायें	दोषमुक्त/ दोषसिद्ध	दोषसिद्ध घोषित	कारावधि
1.	केदार प्रजापति	20.07.2022	20.07.2022	504/34 भा0दं0वि0	दोषमुक्त	——	——
2.	कविलाशो देवी	20.07.2022	20.07.2022	वही	वही	——	——
3.	संजय कुमार प्रजापति	20.07.2022	20.07.2022	वही	वही	——	——

लगातार/–

निर्णय

1. उपरोक्त नामित अभियुक्तों के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा– 504/34 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत विचारण किया जा रहा है।

2. अभियोजन कथानक संक्षिप्त में यह है कि दि0– 03.12.2021 को 2.00 बजे दिन में परिवादिनी ग्राम– बारपोखर, थाना– पिन्ड्राजोरा, जिला– बोकारो स्थित अपने घर में बाहर कमरे में बैठी थी तथा परिवादिनी के पति जरूरी काम से बाहर गया हुआ था, तो उसी समय अभियुक्तगण 20–25 पुरूष–महिला की संख्या में परिवादिनी के घर के सामने आकर अश्लील गाली–गलौज करने लगे एवं कहने लगे कि तुम्हारा पति कहॉ गया है, तो वह बोली कि जरूरी काम से बाहर गया है, तब अभियुक्तगण अश्लील गाली–गलौज देते हुए कहने लगे कि घर के अन्दर छिपा है तथा बंद दरवाजा खोलकर सभी अभियुक्तगण घर के अन्दर जबरदस्ती घुस कर कहने लगे कि निकालो साली, पति को कहॉ छिपा रखी है, तब मना करने पर अभियुक्तगण परिवादिनी को लप्पड़–थप्पड़ से मार–पीट करने लगे, अभियुक्त सं0– 3 परिवादिनी का झोंटा पकड़ कर धकेल कर जमीन पर पटक दिये, अभियुक्त सं0– 1 आलमीरा में रखे हैंड बैग ले लिया, जिसमें 25 हजार रूपये एवं जरूरी कागजात था एवं अभियुक्त सं0– 2 परिवादिनी के गले में पहना 3/4 भर सोने का लगभग 40 हजार रूपये का सुत छीन लिये, तब वह हल्ला की, तो काफी लोग पहॅुचे एवं घटना को होते देखे तथा परिवादिनी का पति जब दि0– 05.12.2021 को घर आया, तो घटना की सारी बातें पति को बताई तथा घटना का कारण यह है कि परिवादिनी का बड़ा लड़का अरविन्द कुमार की शादी की बताचीत अभियुक्त सं0– 1 व 2 की लड़की एवं 3 की बहन सोनिया कुमारी के साथ चल रही थी, लेकिन लड़की पसंद नहीं होने के कारण परिवादिनी का उक्त लड़का शादी करने से इंकार किया था, इसी कारण अभियुक्तगण एवं उसके साथ आये 20–25 पुरूष–महिला परिवादिनी के घर आकर जबरन शादी कराने हेतु इस घटना को अंजाम दिये तथा अभियुक्तगण धमकी देते हुए चले गये कि वे लोग नक्सलाईट एरिया के व्यक्ति है, जहॉ कहीं भी तुम्हारा पति, लड़का–लड़की, भाई, दमाद मिलेगा, उसे उठाकर काटकर पतरातु डैम में फेंक देंगे, पता नहीं चलेगा तथा परिवादिनी का छोटा लड़का घटना की सूचना दि0– 04.12.2021 को मौखिक रूप से दिया, तो थाना–प्रभारी द्वारा कहा गया कि न्यायालय में केस करो, इसलिए यह परिवाद–पत्र न्यायालय में दायर किया गया।

लगातार/–

3. उक्त घटना के सम्बन्ध सूचिका/परिवादिनी छुटनुनी देवी द्वारा दि0– 07.12.2021 को विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बोकारो के न्यायालय में परिवाद–पत्र सं0– 1166/2021 दायर किया गया, जिसे धारा– 156 (3) दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत अग्रतर कार्यवाही हेतु थाना–प्रभारी– पिन्ड्राजोरा भेजा गया, जिसके पश्चात् अभियुक्त 1. केदार प्रजापति, 2. कविलासो देवी एवं 3. संजय कुमार प्रजापति के विरूद्ध पिन्ड्राजोरा थाना काण्ड सं0– 02/2022, दि0– 08.01.2022 अन्तर्गत धारा– 323, 379, 354, 452, 504/34 भा0दं0वि0 का पंजीकृत किया गया तथा पुलिस द्वारा अनुसंधान प्रारंभ किया गया।

4. अनुसंधानोंपरांत अनुसंधानकर्त्ता द्वारा अभियुक्त 1. केदार प्रजापति, 2. कविलासो देवी एवं 3. संजय कुमार प्रजापति के विरूद्ध धारा– 504/34 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी, बोकारो के न्यायालय में आरोप–पत्र सं0– 60/2023, दि0– 29.03.2023 समर्पित किया गया, जिसपर उनके द्वारा दि0– 14.08.2023 को संज्ञान लिया गया तथा विभिन्न न्यायालयों से होता हुआ यह वाद स्थानांतरण के पश्चात् इस न्यायालय में दि0– 06.05.2024 को विचारण एवं निष्पादन हेतु प्राप्त हुआ।

5. उक्त अभियुक्तों के विरूद्ध दिनांक– 10.12.2024 को धारा– 504/34 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत को अभियोग का सारांश हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, जिससे वे इंकार किये तथा विचारण का दावा किये।

6. उक्त अभियुक्तों का दि0– 21.11.2025 को धारा– 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत बयान अंकित किया गया, जिसमें वे घटना को गलत एवं स्वयं को निर्दोष बताये हैं।

7. अब मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन उक्त अभियुक्तों के उपर लगाए गए अभियोग को युक्ति–युक्त ढंग से सभी शंकाओं से परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं ?

मंतव्य

8. अभियोजन द्वारा अपने वाद के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में तीन साक्षियों को साक्ष्य हेतु प्रस्तुत किया गया है, जो निम्न हैं–

कमांक	नाम	साक्षियों की प्रकृति
1.	छुटनुनी देवी	सूचिका/परिवादिनी
2.	बैधनाथ महतो	पक्षद्रोही
3.	वशिष्ट प्रमाणिक	प्रत्यक्षदर्शी

9. अभियोजन की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है–

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्रदर्श– P1/P.W.1 से P1/3/P.W.1	परिवाद–पत्र

10. छुटुनुनी देवी (सूचिका) साक्षी सं0– 1– अपने मुख्य परीक्षा में बताई है कि यह घटना आज से साढ़े तीन वर्ष पूर्व की है, उसका लड़का अरविन्द कुमार एक लड़की से शादी के लिए सोनिया कुमारी को देखा था, लड़की पसंद न आने पर उसके लड़के ने शादी से इंकार कर दिया, इस बात पर लड़की के पिता केदार प्रजापति ने कहा कि वह जबरदस्ती शादी करेंगे और घटना के दिन केदार प्रजापति, संजय प्रजापति दो गाड़ी में लगभग 25 व्यक्ति आकर उसके घर में घुसकर उससे पूछे कि तुम्हारा पति कहॉ गया हुआ है, तब वह कही कि उसका पति घर में नहीं है, इस बात पर वे लोग उसे गाली–गलौज करते हुए झोंटा पकड़कर मार–पीट किये और आलमारी में रखे हुये आंगनबाड़ी का चालीस हजार रूपये नगद और पौने दो भर की सोने की चेन निकाल लिये और उसे मार–पीट किये तथा गाली देते हुये कहा कि वे लोग जबरदस्ती शादी करेंगे, तब वह थाने में टंकित आवेदन दी, जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर उसका हस्ताक्षर है, जिसे वह पहचानती है, जिसे क्रमशः प्रदर्श– P1/P.W.1 से P1/3/P.W.1 अंकित किया गया है तथा वह अभियुक्तों को देखकर पहचान सकती है। प्रतिपरीक्षण के पारा– 4 में यह बताई है कि उसका बेटा अरविन्द कुमार का रिंग सेरोमणी सोनिया कुमारी से नहीं हुआ था तथा पारा– 5 में बताई है कि ऐसी बात नहीं है कि उसका बेटा अरविन्द कुमार एवं सोनिया कुमारी का पतरातु स्थित पंचवाहिनी मंदिर के नजदीक होटल मनीषा में रिंग सेरोमणी नहीं हुआ था तथा पारा– 6 व 7 में बताई है कि वहॉ ये लोग एक गाड़ी से गये थे, उसका पति, बेटा, सास व ससुर भी गये थे तथा इनलोगों को नाश्ता, खाना कराया था तथा पारा– 9 में कि बताई है कि कितने तारीख को ये लोग वहॉ गये थे, दिन, तारीख व साल वह नहीं बता सकती तथा पारा– 11 में बताई है कि उनलोगों के आने का कोई प्रमाण नहीं दी है तथा पारा– 12 में बताई है कि गाड़ी का नम्बर वह नहीं दे सकती, केस में गाड़ी लिखा है, उसे नहीं पता है तथा पारा– 13 में बताई है कि चौहद्दी में पूरब में कृष्ण महतो का घर, पश्चिम में प्रकाश का घर, उत्तर में भरत महतो का

घर एवं दक्षिण में कालीचरण महतो का घर स्थित है तथा पारा– 14 में बताई है कि इलाज का कागज कोर्ट में जमा है, इस संबंध में उसे पता नहीं है तथा पारा– 15 में बताई है कि जब घटना हुई, उसी समय थाना में टंकित आवेदन दी और उसी समय केस हुआ तथा पारा– 16, 17 व 18 में यह बताई है कि इंस्पेक्टर साहब थाना से आये थे, जिसे वह यही कही थी कि लड़का को लड़की पसंद नहीं है, इसलिए शादी नहीं होगी, इतना ही बात वह इंस्पेक्टर को बोली थी। ।

11. बैधनाथ महतो(साक्षी सं0– 2)– अपने मुख्य परीक्षा में बताया है कि यह घटना कब की है एवं शादी हुआ था, उसे याद नहीं है तथा इस साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया है।

12. वशिष्ट प्रमाणिक (साक्षी सं0– 3)– अपने मुख्य परीक्षा में बताया है कि यह घटना दि0– 03.12.2021 की 2.00 बजे दिन की है, उस समय पिन्ड्राजोरा से अपनी गाड़ी को लेकर आ रहा था, तो देखा कि लक्ष्मण के घर पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा है और लड़ाई–झगड़ा हो रहा था तथा केदार प्रजापति, उसका लड़का संजय और संजय की मम्मी, लक्षमण के घर में घुसकर तोड़–फोड़ करने लगे, तब हो–हल्ला होने लगा तथा लक्ष्मण की मम्मी छुटनुनी देवी को केदार प्रजापति, उसकी पत्नी मार–पीट किये तथा अभियुक्तगण दो गाड़ी से आये थे, जिसमें महिला व पुरूष दोनों थे, उसके बाद वह चला गया तथा वह अभियुक्तों को पहचानता है। प्रतिपरीक्षण के पारा– 3 में बताया है कि यह केस लक्ष्मण की मम्मी छुटनुनी देवी ने किया है, उसके पति का नाम जगत चन्द्र महतो है, जो न्यायालय में बैठा है, उसका सारा बयान सुना है तथा पारा– 5 में बताया है कि उसका घर चास मुफस्सिल थाना में अंदर तेलिया में पड़ता है तथा पारा– 7 में बताया है कि उसे जानकारी नहीं है कि जगत चंद्र महतो के बेटा की शादी केदार प्रजापति की पुत्री सोनिया कुमारी के साथ तय हुई थी तथा उनलोगों का रिंग सेरोमनी भी हुआ था तथा पुलिस को वह अपने बयान में यह नहीं बताया था कि वह उक्त रिंग सेरोमनी में शामिल था तथा पारा– 8 व 9 में बताया है कि उसे जानकारी नहीं है कि जगत चन्द्र महतो के बेटा की शादी केदार प्रजापति की बेटी से हुई तथा उक्त रिंग सेरोमनी में कितने लोग गये थे तथा पारा– 10 में बताया है कि यह केस पिन्ड्राजोरा थाना में किया गया था, केस करते समय वह थाना में नहीं गया था, उस केस में क्या लिखा गया था, उसे

जानकारी नहीं है।

13.   बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान यह कथन प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त पूर्णतः निर्दोष है तथा अभियोजन द्वारा उसे झूठे मुकदमे में फॅसाया गया है तथा अभियोजन द्वारा अपने वाद के समर्थन में तीन साक्षियों को परीक्षित कराया गया है, जिसमें साक्षी सं0– 2 पक्षद्रोही साक्षी है एवं साक्षी सं0– 1, जो कि सूचिका है, उसके साक्ष्य व प्राथमिकी में वर्णित तथ्यों में काफी विरोधाभाष है, साथ ही साक्षी सं0– 3 ने घटना का किसी प्रकार से समर्थन नहीं किया है तथा अभियोजन द्वारा इस वाद के अनुसंधानकर्ता को परीक्षित नहीं कराया गया है। अतः अभियुक्तों को दोष–मुक्त किया जाये।

14.   अभियोजन के तरफ से बहस के दौरान यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन साक्षियों ने घटना का पूर्णतः समर्थन किया है तथा अनुसंधानकर्ता द्वारा घटना को सत्य पाकर अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप–पत्र समर्पित किया है।

15.   उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता का तर्क सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकनोपरांत न्यायालय यह पाती है कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त के विरूद्ध धारा– 504/34 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत अभियोग का सारांश सुनाया गया है। जिसकी प्रमाणिकता हेतु अभियोजन की ओर से तीन साक्षियों को परीक्षित कराया गया है, जिसमें साक्षी सं0– 1. छुटुनुनी देवी (सूचिका) अपने मुख्य परीक्षा में बताई है कि यह घटना आज से साढ़े तीन वर्ष पूर्व की है, उसका लड़का अरविन्द कुमार शादी के लिए सोनिया कुमारी को देखा था, लड़की पसंद न आने पर उसके लड़के ने शादी से इंकार कर दिया, इस बात पर लड़की के पिता केदार प्रजापति ने कहा कि वह जबरदस्ती शादी करेंगे और घटना के दिन केदार प्रजापति, संजय प्रजापति दो गाड़ी में लगभग 25 व्यक्ति आकर उसके घर में घुसकर गाली–गलौज करते हुए झोंटा पकड़कर मार–पीट किये, आलमारी में रखे हुये आंगनबाड़ी का चालीस हजार रूपये नगद, पौने दो भर की सोने की चेन निकाल लिये, उसे मार–पीट किये तथा गाली देते हुये कहे कि वे लोग जबरदस्ती शादी करेंगे, तब वह थाने में टंकित आवेदन दी, जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर उसके हस्ताक्षर को प्रदर्श– P1/P.W.1 से P1/3/P.W.1 अंकित किया गया है तथा वह अभियुक्तों को देखकर पहचान सकती है तथा उक्त साक्षी के मुख्य परीक्षा का समर्थन साक्षी सं0– 3. वशिष्ट प्रमाणिक द्वारा भी अपने मुख्य परीक्षा में

किया गया है तथा इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षा में यह भी बताया है कि दि0– 03.12.2021 की 2.00 बजे दिन में वह पिन्ड्राजोरा से अपनी गाड़ी को लेकर आ रहा था, तो देखा कि लक्ष्मण के घर पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा है और लड़ाई–झगड़ा हो रहा था तथा केदार प्रजापति, उसका लड़का संजय और संजय की मम्मी, लक्ष्मण के घर में घुसकर तोड़–फोड़ करने लगे, तब हो–हल्ला होने लगा तथा लक्ष्मण की मम्मी छुटनुनी देवी को केदार प्रजापति, उसकी पत्नी मार–पीट किये तथा अभियुक्तगण दो गाड़ी से आये थे, जिसमें महिला व पुरूष दोनों थे, उसके बाद वह चला गया तथा वह अभियुक्तों को पहचानता है तथा साक्षी सं0– 1/सूचिका अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार की है कि प्रतिपरीक्षण में स्वीकार की है कि उसका बेटा अरविन्द कुमार का रिंग सेरोमणी सोनिया कुमारी से नहीं हुआ था, लेकिन यह भी स्वीकार की है कि कि ऐसी बात नहीं है कि उसका बेटा अरविन्द कुमार एवं सोनिया कुमारी का पतरातु स्थित पंचवाहिनी मंदिर के नजदीक होटल मनीषा में रिंग सेरोमणी नहीं हुआ था तथा वहॉ ये लोग एक गाड़ी से गये थे, उसका पति, बेटा, सास व ससुर भी गये थे तथा इनलोगों को नाश्ता, खाना कराया था, लेकिन यह भी स्वीकार की है कि कितने तारीख को ये लोग वहॉ गये थे, दिन, तारीख व साल वह नहीं बता सकती तथा यह भी स्वीकार की है कि गाड़ी का नम्बर वह नहीं दे सकती, केस में गाड़ी लिखा है तथा चौहद्दी में पूरब में कृष्ण महतो का घर, पश्चिम में प्रकाश का घर, उत्तर में भरत महतो का घर एवं दक्षिण में कालीचरण महतो का घर स्थित है तथा इलाज का कागज कोर्ट में जमा है, इस संबंध में उसे पता नहीं है तथा यह स्पष्ट रूप से स्वीकार की है कि जब घटना हुई, उसी समय थाना में टंकित आवेदन दी और उसी समय केस हुआ तथा इंस्पेक्टर साहब थाना से आये थे, जिसे वह कही थी कि लड़का को लड़की पसंद नहीं है, इसलिए शादी नहीं होगी,इतना ही बात वह इंस्पेक्टर को बोली थी,जब कि साक्षी सं0–3 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि यह केस लक्ष्मण की मम्मी छुटनुनी देवी ने किया है तथा उसका घर चास मुफस्सिल थाना में अंदर तेलिया में पड़ता है तथा उसे जानकारी नहीं है कि जगत चंद्र महतो के बेटा की शादी केदार प्रजापति की पुत्री सोनिया कुमारी के साथ तय हुई थी तथा उनलोगों का रिंग सेरोमनी भी हुआ था तथा पुलिस को वह अपने बयान में यह नहीं बताया था कि वह उक्त रिंग सेरोमनी में शामिल था तथा उसे जानकारी नहीं है कि जगत चन्द्र महतो के बेटा की शादी केदार प्रजापति की बेटी से हुई तथा यह

केस पिन्ड्राजोरा थाना में किया गया था, केस करते समय वह थाना में नहीं गया था, उस केस में क्या लिखा गया था, उसे जानकारी नहीं है।

इस प्रकार, अभिलेख के अवलोकन एवं उक्त साक्षियों के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि साक्षी सं0– 1 इस वाद की सूचिका, साक्षी सं0– 2 पक्षद्रोही साक्षी व साक्षी सं0– 3 प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं तथा साक्षी सं0– 1/सूचिका ने अपने साक्ष्य में प्राथमिकी में वर्णित तथ्यों का समर्थन किया है, लेकिन इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार की है कि उसका बेटा अरविन्द कुमार का रिंग सेरोमणी सोनिया कुमारी से नहीं हुआ था, लेकिन यह भी स्वीकार की है कि ऐसी बात नहीं है कि उसका बेटा अरविन्द कुमार एवं सोनिया कुमारी का पतरातु स्थित पंचवाहिनी मंदिर के नजदीक होटल मनीषा में रिंग सेरोमणी नहीं हुआ था, वहॉ ये लोग एक गाड़ी उसका पति, बेटा, सास व ससुर गये थे तथा इन्हें नाश्ता, खाना कराया था, जिससे यह स्पष्ट है कि सूचिका के स्वयं के साक्ष्य में काफी विरोधाभाष है तथा उक्त तथ्यों का उल्लेख प्राथमिकी में वर्णित भी नहीं है। आगे यह भी स्पष्ट है कि गाड़ी का नम्बर वह नहीं दे सकती, केस में गाड़ी लिखा है तथा यह स्पष्ट रूप से स्वीकार की है कि जब घटना हुई, उसी समय थाना में टंकित आवेदन दी और उसी समय केस हुआ तथा इंस्पेक्टर साहब थाना से आये थे, जिसे वह कही थी कि लड़का को लड़की पसंद नहीं है, इसलिए शादी नहीं होगी, इतना ही बात वह इंस्पेक्टर को बोली थी, जब कि सूचिका द्वारा अपने प्राथमिकी में यह उल्लेखित किया गया है कि उसका छोटा लड़का घटना की सूचना दि0– 04.12.2021 को मौखिक रूप से दिया, तो थाना–प्रभारी द्वारा कहा गया कि न्यायालय में केस करो, इसलिए यह परिवाद–पत्र न्यायालय में दायर किया गया, जो कि अत्यंत विरोधाभाषी तथ्य है तथा इस साक्षी ने अपने परिवाद–पत्र में उल्लेखित किया है कि 25 हजार रूपये अभियुक्तों ने ले लिया, जब कि इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षा में कही है कि 40 हजार रूपये अभियुक्तों ने ले लिया, जब कि काफी विरोधाभषी तथ्य है तथा इस साक्षी ने अपने प्राथमिकी में यह उल्लेखित किया है कि अभियुक्तों ने यह धमकी दिया कि वे लोग नक्सलाईट एरिया के व्यक्ति है, जहॉ कहीं भी तुम्हारा पति, लड़का–लड़की, भाई, दमाद मिलेगा, उसे उठाकर काटकर पतरातु डैम में फेंक देंगे, लेकिन इस साक्षी ने अपने संपूर्ण साक्ष्य में उक्त तथ्य के संबंध में कुछ नहीं कहा है। आगे यह भी स्पष्ट है कि साक्षी सं0– 3 के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि वह सूचिका को

जानता है तथा उसका घर चास मुफस्सिल थाना में अंदर तेलिया में पड़ता है तथा इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि यह केस पिन्ड्राजोरा थाना में किया गया था, केस करते समय वह थाना में नहीं गया था, उस केस में क्या लिखा गया था, उसे जानकारी नहीं है। जिससे अभियोजन इस तथ्य को स्पष्ट करने में असफल रहा है कि उक्त अभियुक्तों द्वारा ही अभियोजन द्वारा अभिकथिन घटना कारित की गयी है तथा उक्त साक्षियों ने अभियोजन घटना का किसी प्रकार से कोई समर्थन नहीं किया है। आगे यह भी स्पष्ट है कि अभियोजन को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद अनुसंधानकर्ता सहित शेष साक्षियों को भी न्यायालय में परीक्षित नहीं कराया गया है तथा प्रत्येक तिथियों को न्यायालय द्वारा अभियोजन को अन्य साक्षियों को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित भी किया गया, परंतु अभियोजन पक्ष उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत करने में असफल रहा है। जिससे उक्त अभियुक्तों की इस घटना में संलिप्तता की संपुष्टि नहीं होती है तथा अभियुक्तों के विरूद्ध धारा– 504/34 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत लगाये गये अभियोग के अन्तर्वस्तुओं की संपुष्टि नहीं होती है। अतः वाद के उपर्युक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचती है कि अभियोजन उक्त अभियुक्तों के उपर लगाये गये अभियोग को युक्ति–युक्त ढंग से सभी शंकाओं से परे साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है।

16. परिणामतः न्यायालय अभियुक्त **1. केदार प्रजापति, 2. कविलाशो देवी एवं 3. संजय कुमार प्रजापति** को उनके उपर लगाये गये अभियोग **धारा– 504/34 भा0दं0वि0** के अपराध में दोषी नहीं पाती है। तद्नुसार, उक्त अभियुक्तों को उक्त अपराध के अभियोग में **दोष–मुक्त** किया जाता है, साथ ही उन्हें तथा उनके जमानतदारों को जमानत बंध–पत्र के दायित्व से उन्मुक्त किया जाता है तथा अगर इस वाद में किसी आवेदक द्वारा वाद के विचारण के दौरान किसी प्रकार का कोई आवेदन दिया गया है और आवेदक द्वारा उसे परिचालित नहीं किया गया है, तो उसे आज की तिथि से खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाकर दिनांकित एवं हस्ताक्षरित किया गया।
(लेखापित एवं शुद्धिकृत)

(किशोर कुमार)
न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी
बोकारो, JH01170
दि0– 21.11.2025

(किशोर कुमार)
न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी
बोकारो, JH01170
दि0– 21.11.2025